



श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,  
जोबनेर, जयपुर (राज.) पिन-303329  
Phone : 01425- 254980-- Email: registrar@sknau.ac.in

### रोजगार विज्ञापित

विज्ञापन संख्या श्री क.न.कृ.वि/2023/03/670

दिनांक : 15-06-2023

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर द्वारा निम्नलिखित अशैक्षणिक पदों की भर्ती हेतु योग्यताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं जिसका विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाईट ([www.sknau.ac.in](http://www.sknau.ac.in) या <https://sknaurecruitment2023.com>) पर उपलब्ध है। इन रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है।

आवेदन की अन्तिम तिथि: 17 जुलाई, 2023 मध्य रात्रि 12.00 बजे तक

(1) रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या :-

क्र. सं.	पदनाम	कुल पद	श्रेणी**																							
			सामान्य			पिछड़ा वर्ग			अति पिछड़ा वर्ग			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग								
			महिला			महिला			महिला			महिला			महिला			महिला								
			सामान्य	विधवा	प्रतिभक्तयता	सामान्य	विधवा	प्रतिभक्तयता	सामान्य	विधवा	प्रतिभक्तयता	सामान्य	विधवा	प्रतिभक्तयता	सामान्य	विधवा	प्रतिभक्तयता	सामान्य	विधवा	प्रतिभक्तयता						
1	तकनीकी सहायक / फार्म मैनेजर / प्रोग्राम सहायक (लैब तकनीकी)	30	8	3	-	-	4	1	1	-	1	-	-	-	3	2	-	-	3	1	-	-	2	1	-	-
2	प्रोग्राम सहायक (कम्प्यूटर)	7	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	स्टेनोग्राफर	6	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	सूचना सहायक	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	मेट्रन	12	-	4	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
6	पुस्तकालय सहायक	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	प्रयोगशाला सहायक	36	8	3	1	-	5	2	1	-	2	-	-	-	4	2	-	-	3	1	-	-	3	1	-	-
8	कृषि पर्यवेक्षक	26	8	2	-	-	4	2	-	-	-	1	-	-	3	-	1	-	2	-	1	-	1	1	-	-
9	स्टेनोग्राफर ग्रेड-III	7	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	लिपिक श्रेणी - द्वितीय	25	6	1	1	-	4	1	1	-	1	-	-	-	3	-	1	-	2	1	-	-	2	1	-	-
11	ड्राइवर	12	3	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
12	इलेक्ट्रिशियन	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल पद		164	48	17	5	0	21	9	3	0	5	1	0	0	17	6	2	0	11	4	1	0	9	5	0	0

नोट :-

- उपरोक्त सारणी में राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कि लिये दर्शाए गए सभी आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को किन्ही भी परिस्थितियों में सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नही भरा जाएगा और इन आरक्षित रिक्तियों को अग्रणित किया जाएगा।

6

2. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 एवं पत्र दिनांक 14.09.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे-आयु सीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस, आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसें सामान्य (अनाक्षित) रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा ।
3. राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के अलावा, देश के अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा ।
4. विश्वविद्यालय द्वारा भरे जाने वाले उक्त रिक्त पदों में विशेष योग्यजन (निःशक्तजन), भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पद का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा परन्तु जिस प्रवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे उसे सम्बन्धित प्रवर्ग में, जिसके वे अभ्यर्थी हैं, उसे उस ही प्रवर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा ।
5. किसी वर्ग (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी से भरा जाएगा ।
6. किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह महिलाओं से या विपर्यय, भरा जा सकेगा । पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, नहीं भरी गई रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं । महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्त पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी । विधवा और विच्छिन्न विवाह महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिला के भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा ।  
विधवा महिला के मामलों में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विच्छिन्न विवाह महिला के मामलों में उसे विच्छिन्न विवाह माननीय न्यायालय से जारी डिक्री प्रस्तुत करनी होगी ।
7. पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान, व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र को आवेदन-पत्र / दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा अन्यथा उसे उस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा । पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा ।
8. विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) के लिए
- अ. राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2020 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा केवल निःशक्तजन श्रेणी में 4 प्रतिशत उक्त पदों हेतु आरक्षण का लाभ देय है ।
- ब. विशेष योग्यजन के लिए दर्शाए गए आरक्षित भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक वर्ग से कमजोर वर्ग) का होगा उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा ।





- स. उपरोक्त दर्शाए गए विशेष योग्यजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों का राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2018 के अनुसार भरा जावेगा।
9. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह जाती है तो उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यगत हो जायेगी।
10. कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.5 (18) कार्मिक/ क-2/ 84 पार्ट 4 दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही मिलेगा।
11. राजस्थान राज्य सरकार के आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर में प्रभावी होंगे।

## (2) आवेदन प्रक्रिया :-

1. परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से भरे जाने हैं। आवेदक इस हेतु वेबसाइट [www.sknau.ac.in](http://www.sknau.ac.in) या <https://sknaurecruitment2023.com> पर निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकते हैं।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 17 जुलाई, 2023 के मध्य रात्रि 12:00 तक भरे जा सकते हैं और इसके बाद लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएगा।
3. अभ्यर्थी को आवेदन की प्रति विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं करनी है।
4. आवेदक को परीक्षा प्रवेश-पत्र संबंधी, साक्षात्कार या जोब टेस्ट एवं अन्य सूचनाएं वेबसाइट [www.sknau.ac.in](http://www.sknau.ac.in) के माध्यम से ही सूचित की जायेंगी। इस सन्दर्भ में किसी प्रकार से डाक व अन्य माध्यम से सूचित नहीं किया जावेगा।
5. यदि कोई आवेदक आवेदन में उल्लेखित सूचना के आधार पर इस पद के लिए उल्लेखित अर्हताओं की पूर्ति नहीं करता है तो उसका आवेदन किसी भी अवस्था पर निरस्त किया जा सकता है एवं ऐसे आवेदकों को ना तो सूचित किया जावेगा और ना ही उनके द्वारा जमा करवाया गया शुल्क प्रतिदाय (Refund) किया जायेगा।
6. किसी तरह की पूछताछ हेतु आवेदक हेल्पलाइन नम्बर 8233426511 पर कार्यालय समयावधि में प्रातः 11 बजे से 5 बजे तक सोमवार से शुक्रवार को सम्पर्क कर सकता है या [support@sknaurecruitment2023.com](mailto:support@sknaurecruitment2023.com) पर ई-मेल कर सकता है।
7. आवेदन शुल्क ऑनलाइन ही आवेदन पत्र में दिये गये लिंक के माध्यम से जमा करवाना होगा अन्य किसी माध्यम से सविकार नहीं किया जावेगा तथा शुल्क के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त किया जावेगा।
8. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.sknau.ac.in](http://www.sknau.ac.in) पर उपलब्ध विज्ञप्ति के वर्णित निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा से बिना सूचित किये वंचित कर दिया जायेगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु कोई मौका नहीं दिया जावेगा एवं पत्र व्यवहार भी स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऐसे निरस्त किये आवेदनो का शुल्क भी नहीं लोटाया जायेगा।

### (3) परीक्षा शुल्क :

तकनीकी सहायक/ फार्म मैनेजर/ प्रोग्राम सहायक (लैब तकनीकी), प्रोग्राम सहायक (कम्प्यूटर) के पदों पर आवेदकों हेतु।

(अ) सामान्य वर्ग व राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (BC/MBC) के आवेदकों हेतु-	रूपये 1400/-
(ब) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (BC/MBC) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आवेदकों हेतु-	रूपये 1000/-
(स) समस्त विशेष योग्यजन, राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों हेतु-	रूपये 700/-

सूचना सहायक, मेट्रन, पुस्तकालय सहायक, प्रयोगशाला सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर ग्रेड-III, लिपिक श्रेणी -II, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन के पदों पर आवेदकों हेतु।

(अ) सामान्य वर्ग व राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (BC/MBC) के आवेदकों हेतु-	रूपये 1000/-
(ब) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (BC/MBC) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आवेदकों हेतु-	रूपये 700/-
(स) समस्त विशेष योग्यजन, राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों हेतु-	रूपये 500/-

नोट :-

राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी ही माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क ही देना होगा।

### (4) आयु सीमा :-

उपर्युक्त विज्ञापित पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु आवेदन की अंतिम दिनांक तक न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिये।

विज्ञापित पदों के अनुरूप दर्शाये गये आरक्षित पदों हेतु विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु अधिकतम आयु सीमा में छूट के प्रावधान निम्नांकित हैं।

क्र.सं	अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियां	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी	5 वर्ष
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी	10 वर्ष
3.	सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी	5 वर्ष
4.	विधवा एवं विवाह विच्छिन्न महिला अभ्यर्थी	अधिकतम आयु सीमा नहीं

6



5.	भूतपूर्व सैनिक कार्मिकों के लिए	10 वर्ष
----	---------------------------------	---------

**नोट:—**

- उपर्युक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- जिन आवेदकों ने पूर्व में इस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित अशैक्षणिक पदों की विज्ञापन संख्या श्री.क.न.कृ.वि./2017/2 दिनांक 16.08.2017 के तहत आवेदन किया था उन आवेदकों को पुनः आवेदन शुल्क सहित आवेदन करना होगा। इन आवेदकों को 100 रुपये के स्टाम्प पत्र पर किसी भी निगम/बोर्ड/सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्था में नियोजन अर्थात् नियुक्ती नहीं होने का शपथ पत्र विश्वविद्यालय द्वारा वेबसाइट [www.sknu.ac.in](http://www.sknu.ac.in) पर दिये प्रपत्र में नोटेरी द्वारा सत्यापित करवाकर अपलोड करना होगा। शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही इन अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट देय होगी एवं पुराना आवेदन शुल्क लोटाया जायेगा। इन आवेदकों को पूर्व आवेदित पद पर आवेदन हेतु आयु सीमा में अधिकतम 3 वर्षों की अतिरिक्त छूट देय होगी।
- विधवा एवं विवाह विछिन्न महिला अभ्यर्थी के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं लेकिन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवानिवृति विश्वविद्यालय आयु से अधिक न हो।

**(5) वेतनमान :**

राज्य सरकार के नियमानुसार चयनित व्यक्तियों को 2 वर्ष की परिवीक्षा काल में रखा जावेगा जिसके दौरान मासिक पारिश्रमिक देय होगा। उन्हें अन्य कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा। परिवीक्षा अवधि संतोषपूर्वक पूर्ण करने पर सातवें वेतनमान के अनुसार निम्न वेतन निर्धारित किया जायेगा। परिवीक्षा काल के दौरान पद छोड़ कर नहीं जाने का नियमानुसार सर्विस ज्वाइन के समय बॉन्ड भरकर देना होगा।

क्र. स	पद का नाम	वेतन लेवल	राजस्थान सरकार के सातवें वेतनमान अनुसार देय वेतन लेवल	परिवीक्षाकाल में प्रति माह देय नियत पारिश्रमिक (रु.)
1	तकनीकी सहायक/फार्म मैनेजर/प्रोग्राम सहायक (लैब तकनीकी)	L-11	(37800-119700)	26500 /—
2	प्रोग्राम सहायक (कम्प्यूटर)	L-11	(37800-119700)	26500 /—
3	स्टेनाग्राफर	L-10	(33800-105700)	23700 /—
4	सूचना सहायक	L-08	(26300-83500)	18500 /—
5	मेट्रन	L-08	(26300-83500)	18500 /—
6	पुस्तकालय सहायक	L-08	(26300-83500)	18500 /—
7	प्रयोगशाला सहायक	L-08	(26300-83500)	18500 /—
8	कृषि पर्यवेक्षक	L-05	(20800-65900)	14600 /—
9	स्टेनाग्राफर ग्रेड-III	L-05	(20800-65900)	14600 /—
10	लिपिक श्रेणी -II	L-05	(20800-65900)	14600 /—
11	ड्राइवर	L-05	(20800-65900)	14600 /—
12	इलेक्ट्रीशियन	L-05	(20800-65900)	14600 /—

*CS*

(6) अशैक्षणिक पदों की आवश्यक अनिवार्य योग्यताएँ व पात्रता पदवार निम्नानुसार हैं।

क्र. स	पद का नाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	तकनीकी सहायक/फार्म मैनेजर/प्रोग्राम सहायक (लैब तकनीकी)	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. कृषि (आनर्स)/ बी. एस.सी. (आनर्स) उद्यान विज्ञान में 50 प्रतिशत या अधिक अंक से उत्तीर्ण। और 2. देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।
2	प्रोग्राम सहायक (कम्प्यूटर) Prog. Asstt (Computer)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर अभियांत्रिकी/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन/कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्चतर डिग्री या उसके समतुल्य।
3	आशुलिपिक (Stenographer)	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकेण्डरी या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण एवं 1. "O" या उच्च स्तर का सर्टिफिकेट कोर्स जो कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अन्तर्गत DOEACC द्वारा संचालित हो या कम्प्यूटर आपरेटर एवं योजना सहायक (COPA)/समंक बनाने एवं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट (DPCS) जो कि राष्ट्रीय /राज्य वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम परिषद द्वारा आयोजित किया हो। या कम्प्यूटर संकल्पना में NIELIT नई दिल्ली द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स या देश के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकेण्डरी सर्टिफिकेट कोर्स जिसमें कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर अनुप्रयोग एक विषय रहा हो। या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट या राजस्थान नालेज कारपोरेशन लिमिटेड के अधीन वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा RSCIT कोर्स उत्तीर्ण। 2. हिन्दी या अंग्रेजी शीघ्र लिपि (शार्ट हैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की दक्षता होनी चाहिए एवं हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट व अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट की टंकण दक्षता होनी चाहिए।
4	सूचना सहायक (Information Asstt)	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर अभियांत्रिकी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/ कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्चतर डिग्री या उसके समतुल्य। या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन/ सूचना प्रौद्योगिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा या उसके समतुल्य। या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ में भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या उसके समतुल्य। या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.इ.सू.प्रौ.सं)/डीओईएसीसी (डोएक) द्वारा संचालित "ओ" या उच्चतर लेवल प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम। या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ में व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय/राज्य परिषद् के अधीन आयोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (क.ऑ.प्रौ.सं)/डाटा प्रेपरेशन और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (डा.प्रे.क.सो.) प्रमाणपत्र।

✓



		<p style="text-align: center;"><b>और</b></p> <p>2. हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में 20 शब्द प्रति मिनट टंकण की गति ।</p> <p>3. देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान ।</p>
5	मैट्रन (Metron)	<p><b>आवश्यक योग्यता:</b> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त महिला</p> <p><b>वांछनीय योग्यताएँ:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. मैट्रन को छात्रावास में रहना होगा तथा उसके साथ कोई पुरुष सदस्य नहीं रह सकता है।</li> <li>2. महिला छात्रावास में 2 वर्ष कार्य करने का अनुभव</li> <li>3. प्रबंधन अनुभव रखने वाली महिला को वरीयता दी जावेगी।</li> </ol>
6	पुस्तकालय सहायक (Library Asstt.)	<p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से B. Library Science के साथ स्नातक और कंप्यूटर टाइपिंग का ज्ञान ।</p> <p>वांछनीय योग्यता: विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के पुस्तकालय में कार्य करने का अनुभव ।</p>
7	प्रयोगशाला सहायक (Lab. Asstt.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. विज्ञान संकाय में सीनियर सैकेण्डरी (कृषि विज्ञान सहित) में परीक्षा उत्तीर्ण</li> <li>2. देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान ।</li> </ol>
8	कृषि पर्यवेक्षक (Agriculture Supervisor)	<p>कृषि संकाय में सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण <span style="float: right;">या</span></p> <p>भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. कृषि (आनर्स)/ बी.एस. सी. उद्यानिकी (आनर्स) विज्ञान परीक्षा उत्तीर्ण। <span style="float: right;">और</span></p> <p>देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान ।</p>
9	स्टेनोग्राफर ग्रेड-III (Stenographer-Gr-III)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकेण्डरी या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण <span style="float: right;">या</span></li> <li>2. "O" या उच्च स्तर का सर्टिफिकेट कोर्स जो कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अन्तर्गत DOEACC द्वारा संचालित हो <span style="float: right;">या</span></li> <li>कम्प्यूटर आपरेटर एवं योजना सहायक (COPA)/समंक बनाने एवं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट (DPCS) जो कि राष्ट्रीय /राज्य वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम परिषद द्वारा आयोजित किया हो। <span style="float: right;">या</span></li> <li>कम्प्यूटर संकल्पना में NIELIT, नई दिल्ली द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स <span style="float: right;">या</span></li> <li>देश के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकेण्डरी सर्टिफिकेट कोर्स जिसमें कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर अनुप्रयोग एक विषय रहा हो। <span style="float: right;">या</span></li> <li>भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट <span style="float: right;">या</span></li> <li>सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पोलिटेकनिक संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा। <span style="float: right;">या</span></li> <li>राजस्थान नालेज कारपोरेशन लिमिटेड के अधीन वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा RSCIT कोर्स उत्तीर्ण ।</li> <li>3. हिन्दी या अंग्रेजी शीघ्र लिपि (शार्ट हैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की दक्षता होनी चाहिए एवं हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट व अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट की टंकण दक्षता होनी चाहिए ।</li> </ol>
10	क्लर्क ग्रेड - द्वितीय (Clerk Gr- II)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकेण्डरी या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण <span style="float: right;">या</span></li> <li>2. "O" या उच्च स्तर का सर्टिफिकेट कोर्स जो कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अन्तर्गत DOEACC द्वारा संचालित हो <span style="float: right;">या</span></li> <li>Certificate course on Computer Concept by NIELIT, New Delhi. <span style="float: right;">या</span></li> </ol>

		<p>कम्प्यूटर आपरेटर एवं योजना सहायक (COPA)/समंक बनाने एवं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट (DPCS) जो कि राष्ट्रीय /राज्य वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम परिषद द्वारा आयोजित किया हो।  भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा कम्प्यूटर विज्ञान /कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा/डिग्री/सर्टिफिकेट  सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पोलोटेक्निक संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा  देश के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकेण्डरी सर्टिफिकेट कोर्स जिसमें कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर अनुप्रयोग एक विषय रहा हो।  राजस्थान नालेज कारपोरेशन लिमिटेड के अधीन वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा आयोजित RSCIT कोर्स उत्तीर्ण।</p> <p>3. हिन्दी में न्यूनतम 20 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की टंकण योग्यता</p>
11.	ड्राइवर (Driver)	<ol style="list-style-type: none"> <li>सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 8 वीं परीक्षा उत्तीर्ण।</li> <li>हल्के तथा भारी वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस।</li> <li>मान्यता प्राप्त संगठन में हल्के तथा भारी वाहन ड्राइविंग (वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद) का तीन साल का अनुभव।</li> <li>वाहन चालन एवं वाहन के इंजन सहित सभी भागों का ज्ञान एवं उनके रखरखाव में प्रवीणता होना आवश्यक है।</li> <li>आवेदक की दृष्टि चश्मा या बिना चश्मा के 6 x 6 होनी चाहिए।</li> <li>आवेदक का वजन 65 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।</li> <li>सड़क पर वाहन की मरम्मत का ज्ञान तथा ड्राइविंग टेस्ट में पास होना आवश्यक है।</li> </ol>
12	इलेक्ट्रीशियन (Electrician)	<ol style="list-style-type: none"> <li>सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ इलेक्ट्रिकल शाखा में आई.टी.आई. अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त संगठन/ संस्थान से विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा/ डिग्री।</li> <li>मान्यता प्राप्त संगठन में इलेक्ट्रीशियन तथा उसके समकक्ष कार्य का तीन वर्ष का अनुभव।</li> </ol>

नोट: परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं परीक्षा तिथि की विस्तृत सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

### (7) चयन प्रक्रिया :-

विज्ञापित पदों पर अभ्यर्थियों के चयन हेतु न्यूनतम योग्यता व पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.sknaau.ac.in](http://www.sknaau.ac.in) पर उपलब्ध रहेगा जिसे वहां से डाउनलोड किया जा सकता है। इन पदों हेतु परीक्षा स्थान एवं तिथि के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर यथासमय सूचित कर दिया जायेगा।

### (8) आवेदन करने सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्देश:-

- अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक पदों हेतु आवेदन की स्थिति में प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन करना होगा एवं शुल्क भी प्रत्येक आवेदित पद के लिए अलग से देय होगा।
- आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उसी श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें। यदि आवेदक द्वारा अपनी योग्य श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जायेगी। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर विश्वविद्यालय अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिये स्वतंत्र होगा।



3. विज्ञप्ति के संबंध में किसी प्रकार के संसोधन तथा भर्ती संबंधी अन्य सूचना/विवरण को विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। अभ्यर्थी नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।
4. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी सूचना के आधार पर ही पात्रता (आयु, योग्यता व श्रेणी) की जांच की जायेगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गयी सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है, तो उसका आवेदन/नियुक्ति अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
5. परीक्षा के लिये प्रवेश पत्र जारी करने का अभिप्राय यह नहीं है कि विश्वविद्यालय द्वारा उसकी उम्मीदवारी सही मान ली गयी है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित प्रविष्टियां सही मान ली गयी है। विश्वविद्यालय द्वारा आवेदकों के पात्रता की जांच अलग से की जायेगी। पात्रता की जांच हेतु उम्मीदवार को आवेदन पत्र में संलग्न समस्त दस्तावेजों की मूल प्रतियां दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करनी होंगी।
6. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर इस भर्ती से संबंधित वांछित सूचना भर्ती प्रक्रिया के लम्बनकाल/प्रक्रियाधीन के दौरान प्रदान नहीं की जायेगी। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात वांछित सूचना नियमानुसार प्रदान की जा सकेगी।
7. उपर्युक्त पदों पर भर्ती के लिये उम्मीदवार अच्छे मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए। इस हेतु नियमानुसार आरोग्य प्रमाणपत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।
8. विश्वविद्यालय सेवा में आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे कि वह उक्त पदों में से किसी नियुक्ति के लिये योग्य हो सके, इसके लिए उसे किन्हीं दो गणमान्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित सदचरित्र प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।
9. इस विज्ञप्ति के माध्यम से नियुक्त किसी कार्मिक को विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में किसी भी केन्द्र/इकाई/कार्यालय में पदस्थापित किया जा सकेगा।
10. आवेदक द्वारा अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं धारण करने से ही किसी अभ्यर्थी को प्रतियोगी परीक्षा, साक्षात्कार या सर्विस ज्वाइन के लिये बुलाने का अधिकार नहीं हो जाता है। प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा पद की संख्या के अनुसार यदि अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक है और विश्वविद्यालय द्वारा सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार या जोब टेस्ट लेना सुविधाजनक अथवा संभव न हो तो विश्वविद्यालय को यह अधिकार है कि वे ऐसे आवेदन पत्रों की छंटनी (Screening) उच्च योग्यता एवं अनुभव के आधार पर अथवा अन्य किसी आधार पर की जा सकती है।
11. उक्त पदों पर भर्ती के लिए छंटनी हेतु मापदण्ड एवं प्रक्रिया का निर्धारण किये जाने तथा बिना कारण निर्दिष्ट किए विज्ञापित पद पर भर्ती नहीं करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास निहित होगा।
12. इस विज्ञप्ति के प्रसारण एवं चयन प्रक्रिया के समापन तक रिक्तियों में विधिक तौर पर अन्तर आने की स्थिति में रिक्त पदों की गणना चयन प्रक्रिया के समापन के पश्चात् की जायेगी।
13. भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी भी योजना/स्कीम के पद, योजना/स्कीम के समाप्त होने के साथ समाप्त किया जा सकता है।
14. उक्त पदों हेतु चयन प्रक्रिया में हुई भूल अथवा त्रुटि के ज्ञात होने की स्थिति में किसी भी स्तर पर यहां तक कि नियुक्ति पत्र जारी होने के पश्चात भी अभ्यर्थी को प्रदत्त/जारी किसी भी संचारण अथवा पत्र व्यवहार को संशोधन, वापस लेने अथवा निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास निहित होगा।

15. साक्षात्कार/ जोब टेस्ट हेतु आमंत्रित नहीं करने व परिणाम रोकने के कारणों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार पर विश्वविद्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। सम्बन्धित जानकारी हेतु आवेदक नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाईट का निरीक्षण करते रहें।
16. किसी अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा/साक्षात्कार/जोब टेस्ट में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता व अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।
17. इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियुक्ति/चयन हेतु किसी प्रकार की सिफारिश/ दबाव की स्थिति में अभ्यर्थी को निरर्हित (Disqualify) कर दिया जायेगा।
18. ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चे वाले को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक कि 01.06.2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती। परन्तु यह कि जहां किसी आवेदक की पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुये बच्चों को एक ईकाई समझा जावेगा। हालांकि इस हेतु राजस्थान सरकार के संशोधित नियम लागू होंगे तथा आवेदक को इस आशय का प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।
19. यदि किसी अभ्यर्थी/परीक्षार्थी को किसी भी भर्ती/परीक्षा बोर्ड/आयोग से अनुचित साधनों के प्रयोग/उपभोग या अनुचित अभद्र व्यवहार के कारण भविष्य की परीक्षाओं के लिये/साक्षात्कारों आदि से विवर्जित (Debarred) किया गया हो तो उसे विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी और अगर सम्मिलित हो भी गया तो ऐसे अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं दी जावेगी।
20. केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / विशेष योग्यजन अभ्यर्थी आवेदन पत्र के सम्बन्धित स्थान पर अपनी श्रेणी इंगित करें एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध जाति/निःशक्तता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति हार्डकॉपी के साथ विश्वविद्यालय द्वारा मांगने पर एवं दस्तावेज सत्यापन के समय उपलब्ध करानी होगी। पिछड़ा वर्ग सम्बन्धी प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को वित्तिय वर्ष 2022-23 की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
21. नये भर्ती / नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये राजस्थान सरकार/ विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप पेन्शन योजना (Pension Scheme) विश्वविद्यालय में लागू रहेगी।
22. विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के समय समय पर प्रचलित नियम व प्रावधान नियुक्तियों पर लागू होंगे।
23. यदि किसी अभ्यर्थी को पूर्व में न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में आयु सीमा में शिथिलता का लाभ दिए जाने के आदेश दिए गए हैं तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित आवेदक अलग से आवेदन के सात दिवस के भीतर निम्नहस्ताक्षरकर्ता को लिखित में सूचित करना होगा।
24. रोस्टर का ध्यान रखते हुए पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
25. आवेदित सभी पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जावेगा। परीक्षा तिथि व पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर सूचित किया जायेगा।



26. सेवारत अभ्यर्थी 'NOC' उचित माध्यम द्वारा जारी की हुई हो, साक्षात्कार या दस्तावेज वेरीफिकेशन के समय लाना आवश्यक होगा।
27. विज्ञापन से संबंधित कोई भी संशोधन विश्वविद्यालय की वेबसाइट ([www.sknau.ac.in](http://www.sknau.ac.in)) पर ही अपलोड किया जायेगा।
28. किसी तरह की पूछताछ हेतु आवेदक हेल्पलाइन नम्बर **8233426511** पर कार्यालय समयावधि में प्रातः 11 बजे से 5 बजे तक सोमवार से शुक्रवार को सम्पर्क कर सकता है या **suppot@sknaurecruitment2023.com** पर ई-मेल कर सकता है।
29. इस भर्ती प्रक्रिया/विज्ञापन से संबंधित समस्त न्यायिक मामलों का क्षेत्राधिकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर होगा।

  
15/06/2023  
कुलसचिव

## शपथ-पत्र

मैं .....पुत्र/पुत्री/पत्नि/श्री..... श्री कर्ण नरेन्द्र  
कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर-जयपुर (राज.) द्वारा जारी विज्ञापन क्रमांक .....  
दिनांक..... के सन्दर्भ में शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि :-

1. मेरे द्वारा श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर द्वारा जारी विज्ञापन संख्या श्रीकनकृषिवि/2017/02 दिनांक 16.08.2017 के तहत पद .....के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। उसमें शुल्क रु .....डी.डी. क्रमांक .....बैंक का नाम..... द्वारा भुगतान किया था।
2. मैंने दिनांक.....(विज्ञापन जारी करने का दिनांक) तक किसी निगम /बोर्ड सरकारी /अर्द्ध सरकारी/ स्वायत्तशासी संस्था में नियोजन प्राप्त नहीं किया है।
3. यदि उक्त कथन संख्या 02 मिथ्या पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने के लिए श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को अधिकृत करता हूँ।
4. उपरोक्त सूचना अनुसार मैं अधिकतम आयु सीमा में श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के वर्तमान विज्ञापन संख्या ..... दिनांक.. ..... के अन्तर्गत छूट चाहता हूँ।

हस्ताक्षर  
(सत्यापन नोटेरी द्वारा)

हस्ताक्षर  
शपथ ग्रहिता

6